

शुद्धि पत्र

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति

महिला एवं बाल विकास विभाग

बेज संख्या 15-20, पॉकेट-11, सैक्टर-4, पंचकूला

दूरभाष सं. 0172-2580349

विज्ञापन

निम्नलिखित योग्यता, नियम एवं शर्तों के अनुसार जुवेनाइल जस्टिस (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2021, जुवेनियल जस्टिस मॉडल संशोधित नियम, 2022 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के पद भरने हेतु अध्यक्ष/सदस्य की योग्यता निम्न अनुसार है :-

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष/सदस्य की योग्यता:-

क्र० सं०	प्रकाशित	संशोधित
1.	सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष/सदस्य की योग्यता	अध्यक्ष और सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान या साईकेट्री या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान या मानव विकास या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होने चाहिए।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष/सदस्य की आयु:

अध्यक्ष और सदस्यों की आयु 35-65 वर्ष की होनी चाहिए।

अवधि:

3 वर्ष

मानदेय:

अध्यक्ष और सदस्य, बाल कल्याण समिति और सदस्य जुवेनियल जस्टिस बोर्ड को बैठक अनुसार भुगतान किया जाएगा जिसमें बैठक भत्ता या यात्रा भत्ता और कोई अन्य भत्ता शामिल है जो राज्य सरकार निर्धारित करती है।

नियम एवं शर्तें:

1. आवेदक हरियाणा का अधिवासी हो।
2. आवेदक अपने मुख्यालय का संधारण करेगा क्योंकि विषम घंटों या अल्प सूचना पर भी उपरिथिति आवश्यक है और यदि मुख्यालय का संधारण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
3. आवेदक आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर एक स्वयं घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। निम्नलिखित बिन्दुओं की (i) से (vii) तक सभी शर्तें पूरी करता हो।

[नियम 15 (ए)]

अध्यक्ष या सदस्य बाल कल्याण समिति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र।

1. मैं.....बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ....., इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं धारा 27 में निर्धारित किसी भी शर्त से बाधित नहीं हूँ अधिनियम का (4क), अर्थात्,

- (i) मेरा मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है।
 - (ii) मुझे इस तरह के अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।
 - (iii) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया गया है।
 - (iv) मैं कभी भी बाल शोषण या बाल श्रम के रोजगार या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य उल्लंघन या अनैतिक कार्यों में शामिल नहीं रहा हूँ या
 - (v) मैं किसी जिले में बाल देखभाल संस्थान के प्रबंधन का हिस्सा नहीं हूँ।
2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।
- vi. आवेदक का मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- vii. आवेदक को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया या खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
3. डब्ल्यूसीडी के मुख्यालय में प्राप्त सीधे आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।
4. इच्छुक उम्मीदवार संबंधित जिले के संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में अपेक्षित/सहायक दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि के साथ ...28.01.2023.....को सांयं 05:00 बजे तक या पूर्व निर्दिष्ट प्रपत्र पर अपने आवेदन प्रपत्र भेजे/प्रस्तुत करेंगे।
5. डब्ल्यूसीडी मुख्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे।
6. विभाग के पास उम्मीदवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अपूर्ण आवेदन फार्म को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.WCDhry.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।


 संयुक्त निदेशक
 हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति
 महिला एवं बाल विकास विभाग
 हरियाणा, पंचकूला